

ला.सं. 44/19 कोटा शां / सच्चु खा

12/4/19 पत्रावली पेश हुई।

प्राथी एवं उनके वकील में से कोई उप. नहीं।

आज अदालत सत्र में रुक-रुक कर तीन
घर आवजे दिलवाये जाने के बावजूद
प्राथी एवं उनके वकील में से किसी के

उप. नहीं होने पर आवेक अतिरिक्त द्वारा

आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3

के तहत अफग हाजरी एवं अफग पेशी

में इवॉरिज किया जाता है।

पत्रावली पेशल शुमार दोकर दोगिव पदर दोग


सहायक कलक्टर
(S.D.O) शिव

